ग्राम पंचायत कोसरियाँ, विकास खण्ड झण्डूता जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2015 से 03/2018

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोसरियाँ, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति कान्ता देवी	01.04.2015 से 22.01.2016
2	श्री विजय कुमार	23.01.2016 से 31.03.2018

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री मोहिन्द्र सिंह	01.04.2015 से 06.02.2017
2	श्री जगदीश कुमार	07.02.2017 से 31.03.2018

तकनीकी सहायक :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री पवन कुमार	01.04.2015 से दिसम्बर 2015
2	श्री कश्मीर सिंह	जनवरी 2016 से 31.03.2018

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री तिलक राज	01.04.2015 से 31.03.2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत कोसरियाँ, विकास खण्ड झण्डूता जिला बिलासपुर के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र॰	**पैरा सं॰**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	5	बैंक खातों के शेष तथा वित्तीय स्थिति में अन्तर	2.64
2	15	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष	0.15
3	16	अनुदान की राशि का अवरोधन	38.09
4	18	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	1.10
5	20	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक स्टोर का क्रय करना	6.68
6	21	पंचायत सचिव को यात्रा भत्ता का अनियमित भुगतान	0.01
7	27	निर्माण कार्य के निष्पादन में मूल्यांकन (Assessment) न करके किया गया अधिक व अनियमित भुगतान	0.16

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत कोसरियाँ, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4. 2015 से 31.3.2018 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पुनीत शर्मा, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 11/04/2018 से 17/04/2018 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 09/2015, 03/2017, 03/2018 व 06/2015, 06/2016, 06/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न

होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कोसरियाँ, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/– 79 दिनांक 17/04/2018 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि हि. प्र. रा. स. बैंक शाह–तलाई के मल्टीसिटि चैक संख्या 834319 दिनांक 17–04–2018 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4. वित्तीय स्थिति :–

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2018/–72 दिनांकः 10/04/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 (क व ख)** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2015–16	1369170	4826399	6195569	3079400	3116169
2016–17	3116169	6185595	9301764	5305242	3996522
2017–18	3996522	7301965	11298487	7489803	3808684

वित्तीय स्थिति पर अंकेक्षण टिप्पणियांः–

1. ग्राम पंचायत कोसरियाँ द्वारा नरेगा, 14वाँ वित्तायोग तथा हरियाली परियोजना के अतिरिक्त समस्त आय व्यय का लेखांकन खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में ही किया जा रहा है परन्तु इससे सम्बधित लैजर तथा वर्गीकृत सार का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत के स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी है।
2. लैजर तथा वर्गीकृत सार के अभाव में स्व–स्त्रोतों का पूर्ण विवरण तैयार करना व इसकी विस्तृत जांच करना सम्भव नहीं हो पाया है। अंकेक्षणावधि में स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित मात्र उन्हीं अंकड़ों की परख की गई है जो कि पंचायत द्वारा खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्ज किए गए थे।

5. बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में ₹2.64 लाख का अन्तर :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2018 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तषेश में ₹2,64,355 का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में पाया गया है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2** में संलग्न है।

क्र	खाता			अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–			
1	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4)			3808684
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–				
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	खाता 'क' व 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक शाह तलाई	4005	227533
2		हि•प्र•रा•स• बैंक शाह तलाई	4033	1551637
3		हि•प्र•रा•स• बैंक शाह तलाई	6206	505053
4		हि•प्र•रा•स• बैंक शाह तलाई	7455	25908
5		हि•प्र•रा•स• बैंक शाह तलाई	7749	1739
6		हि•प्र•रा•स• बैंक शाह तलाई	8226	529
7		हि•प्र•रा•स• बैंक शाह तलाई	7458	1359
8		हि•प्र•रा•स• बैंक शाह तलाई	7457	21985
9	14वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक शाह तलाई	0057	1515207
10	हरियाली	हि•प्र•रा•स• बैंक शाह तलाई	5749	0
11	हरियाली लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक शाह तलाई	6973	221828
12	खाता 'क' व 'ख' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः			261
कुल योग (ख):				**4073039**
रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क – ख): (बैंक आधिक्य)				**264355**

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते

हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। उपरोक्त अन्तर बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–77 दिनांकः 16/04/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6. रोकड़ बही में ₹2.64 लाख का वास्तविक व सम्पूर्ण व्यय दर्ज़ न करनाः–

गत पैरा 5 में जो अन्तर है वह यह भी परिलक्षित करता है कि पंचायत के व्यय हेतु बैंक खातों से किए जा रहे समस्त लेनदेन को रोकड़ बहियों में दर्ज नहीं किया गया है, जिस कारण दिनांक 31–03–2018 को बैंक खातों का शेष रोकड़ बहियों से ₹2,64,355 अधिक पाया गया है। इसके कारणों की विभाग अपने स्तर पर विस्तृत जांच करके रोकड़ बहियों का सम्पूर्ण अद्ययतन (Updation) सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. रोकड़ बही का अनुरक्षण नियमानुसार न करना तथा दर्ज प्रविष्टियों का सत्यापन न करनाः–

ग्राम पंचायत, कोसरियाँ की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में अवहेलना की जा रही है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) तथा लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज प्रत्येक लेनदेन को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत में रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की पूर्ण अनुपालना नहीं की गई है। उपरोक्त नियमों के अनुसार पंचायत सचिव व प्रधान संयुक्त आहरण एवं वितरण अधिकारी हैं तथा उन प्रविष्टियों को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाना अपेक्षित है परन्तु इसके स्थान पर प्रत्येक पृष्ठ को अन्त में पंचायत प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया है। अतः नियमों के विरूद्व अपनाई गई इस कार्य प्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8. नियमविरूद्व एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए

जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में चार अलग – अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन चार रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

9. पंचायत निधि के खाता 'क' का संचालन न करनाः–

ग्राम पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए खाता 'क' (स्व–स्त्रोतों के लेन देन के लिए) हि• प्र• रा• स• बैं• की शाहतलाई शाखा में बचत खाता संख्या 4005 खोल तो लिया गया है जिसमें दिनांक 31.03. 2018 को ₹2,27,533 शेष थी, परन्तु इसमें किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया जाता है। अंकेक्षणावधि के तीन वर्षो के दौरान इसमें मात्र बैक द्वारा ब्याज जमा करने की प्रविष्टियां ही हुई हैं। पंचायत द्वारा इस खाते का संचालन करने के स्थान पर स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय को हि• प्र• रा• स• बैं• की शाह तलाई शाखा में खाता संख्या 4033 जो कि पंचायत निधि का खाता 'ख' है में जमा करवाया जाता है। यह नियमविरूद्ध कार्यप्रणाली क्यों तथा किसके निर्देशों से अपनाई गई है के बारे में अंकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार न किये जाने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन नियमों की अनुपालना उचित तरीके से नहीं की गई है। प्रत्येक योजना के लिए लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। ग्राम पंचायत कोसरियाँ द्वारा लैजर तो बनाए गए हैं परन्तु इन्हें परियोजना विशेष के स्थान पर निर्माण कार्य विशेष के आधार पर ''निर्माण कार्य रजिस्टर'' (Works Register) की तरह तैयार किया गया है जो कि अनुचित है तथा इन लैजर खातों को अनुरक्षित करने के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

11. नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) तथा रोकड़ बही के लिए इन नियमों में प्राविधित ''प्रारूप—5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु ग्राम पंचायत, कोसरियाँ के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12. वर्गीकृत सार तैयार न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

13. नियमानुसार निवेश न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु

नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

14. बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

15. पंचायत राजस्व ₹0.15 लाख वसूली हेतु शेष :–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–72 दिनांकः 10/04/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक पंचायत के राजस्व की ₹15340 की वसूली हेतु शेष थी।

गृहकर : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः अवधि 2015–16 में 702, 2016–17 में 702 तथा 2017–18 में 720 परिवारों के लिए ₹10 प्रति परिवार की दर से प्राप्य **गृहकरः–**

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015–16	0	7020	7020	5900	1120
2016–17	1120	7020	8140	0	8140
2017–18	8140	7200	15340	0	15340

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

16. अनुदान ₹38.09 लाख का अवरोधनः–

पंचायत सचिव् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी. /2018/–72 दिनांकः 10/04/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31–03–2018 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹38,08,684 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

17. रोकड़ बही में आय के स्त्रोत का विवरण दर्ज न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज प्रत्येक प्रप्ति/आय का सम्पूर्ण तथा स्पष्ट विवरण दर्ज किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कोसरियाँ की पंचायत निधि खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही की अवधि 04/2015 से 03/2018 के लिए की गई अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा बहुत से प्रकरण ऐसे पाए गए हैं जिनमें प्राप्त आय के लिए रोकड़ बही में मात्र राशि ही दर्ज की गई है तथा स्त्रोत अथवा प्रेषक का कोई विवरण दर्ज नहीं है। अंकेक्षण जांच में सामने आए कुछ प्रकरण निम्न तालिका में उद्धृत्त किए गए हैंः–

क्र.	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	प्राप्त आय की राशि (₹)
1	14.08.2015	9	52590.00
2	05.12.2015	14	11550.00
3	27.04.2016	21	31650.00
4	23.06.2016	23	32490.00
5	06.07.2016	23	12385.00

उपरोक्त चूक बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–77 दिनांकः 16/04/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब इस अनियमितता के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना तथा भविष्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराना सुनिश्चित किया जाए।

18. बिना उचित बिलों के किया गया ₹1.10 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत कोसरियाँ के अंकेक्षणावधि के चयनित माह तथा अन्य प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि मार्च 2015 से पूर्व रोकड़ बहियों में दर्ज ₹1,09,945 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वाउचर	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–				
1	6.5.2015	03	9	रेत, बजरी व पत्थर	28425
2	6.5.2015	03	11	शटरिंग	9000
3	6.5.2015	04	16	रेत, बजरी व पत्थर	12708
4	6.5.2015	04	21	रेत, बजरी व पत्थर	10722
5	6.5.2015	04	25	रेत, बजरी व पत्थर	24552
6	6.5.2015	04	......	दरवाजे व खिडकी	7600
7	7.12.2015	15	113	रेत, बजरी व पत्थर की ढुलाई	8469
8	7.12.2015	15	117	रेत, बजरी व पत्थर की ढुलाई	8469
				कुल योग	**₹109945**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव तथा पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित

किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–77 दिनांकः 16/04/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्च प्राध्किारी की प्रशासनिक स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

19. निर्माण सामग्री की खरीद उचित बिलों के बिना करनाः–

गत पैरा में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि के लेखाओं की अंकेक्षण जांच से ही सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया था कि मार्च 2015 से पूर्व पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों विशेषतः मनरेगा कार्यों के लिए रेत, बजरी, पत्थर, ईंट इत्यादि निर्माण सामग्री की खरीद भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना उचित बिलों के की गई है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों की भी पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

20. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹6.68 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹6,68,474 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र॰	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वाउचर	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बही:–				
1	21.09.2015	11	84	रेत, बजरी व पत्थर	17460
2	21.09.2015	11	85	रेत, बजरी व पत्थर	48223
3	21.09.2015	11	87	रेत, बजरी व ईटें	22284
4	08.03.2016	18	140	रेत, बजरी व पत्थर	96880
5	08.03.2016	18	143	रेत, बजरी व पत्थर	37808
6	23.09.2016	25	33	रेत, बजरी व पत्थर	37983
7	23.09.2016	26	34	रेत, बजरी व पत्थर	95873
9	28.04.2017	02	6	रेत व बजरी	59857
10	05.01.2018	27	––	रेत व बजरी	74674
	14वाँ वित्तायोग रोकड़ बही:–				
11	23.09.2017	10	33	ईंटें, रेत व बजरी	58632
12	07.03.2018	20	––	रेत व बजरी	118800
				कुल योगः–	**₹668474**

उपरोक्त विवरण मात्र चयनित माह से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–77 दिनांकः 16/04/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय उपरोक्त सन्दर्भित नियमों के अनुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. महेन्द्र सिंह, पंचायत सचिव को चुनाव विभाग के कार्य हेतु यात्रा भत्ता राशि ₹1151 का पंचायत निधि से अनियमित भुगतान करनाः–

ग्राम पंचायत, कोसरियाँ की पंचायत निधि खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही की अवधि 04/2015 से 03/2018 के लिए की गई अंकेक्षण जांच में पाया गया कि

तत्कालीन पंचायत सचिव, श्री महेन्द्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव विभाग के ''खण्ड स्तर अधिकारी'' (बी• एल• ओ•) के रूप में भी कार्य करते थे को चुनाव विभाग के कार्य हेतु की गई यात्राओं के लिए लिए भी यात्रा भत्ता का भुगतान पंचायत निधि से कर दिया गया है जो कि सर्वथा अनियमित है। इस मद में अंकेक्षण जांच के दौरान पाए गए प्रकरणों, जिनका विवरण निम्न तालिका में है, में कुल ₹1151 का भुगतान पाया गया है। अतः इस अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	यात्रा विवरण	भुगतान दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वाउचर	भुगतान राशि (₹)
1	दिनांक 11.04.2015 को कोसरियाँ से घुमारवीं तथा वापिसी की कुल 92 किलोमीटर की यात्रा।	11.04.2015	7	45	231
2	दिनांक 27.04.2015 को कोसरियाँ से घुमारवीं तथा वापिसी की कुल 92 किलोमीटर की यात्रा।	27.04.2015	7	45	231
3	दिनांक 07.05.2015 को कोसरियाँ से झण्डूता तथा वापिसी की कुल 88 किलोमीटर की यात्रा।	07.05.2015	7	46	227
4	दिनांक 08.05.2015 को कोसरियाँ से घुमारवीं तथा वापिसी की कुल 92 किलोमीटर की यात्रा।	08.05.2015	7	46	231
5	दिनांक 24.05.2015 को कोसरियाँ से घुमारवीं तथा वापिसी की कुल 92 किलोमीटर की यात्रा।	24.05.2015	7	46	231
	कुल योग				**₹1151**

22. प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप—3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विषेशतः आर• टी• जी• एस•/ऑलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में

नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23. जारी प्रमाणपत्रों के शुल्क की वसूली न करना तथा सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण/संकलन न करनाः–

पंचायत कार्यालय विवाह, जन्म व मृत्यु, परिवार, राशन कार्ड इत्यादि के लिए पंजीकरण कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है तथा हि•प्र• पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 100 के प्रावधानों के अनुसार इनके पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रमाणपत्र शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है जो कि पंचायत की आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। पंचायत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा इस मद में किसी प्रकार के शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24. मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षरण न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत, कोसरियाँ में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

25. मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि• प्र• लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति के आधार पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत, कोसरियाँ द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौलों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है तथा मुख्य रूप से इन मस्ट्रौलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक श्रमिक को छः दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन सवैतनिक अवकाश (Paid Holiday) दिया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत कोसरियाँ में इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा मनरेगा परियोजना के अन्तर्गत करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी मस्ट्रौलों में मजदूरों द्वारा लगातार छः दिन से अधिक कार्य किए जाने के बावजूद भी उन्हें सवैतनिक अवकाश नहीं दिया गया है जो कि उपरोक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है।
2. मस्ट्रौल के भाग–3 जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विरण दर्ज किया जाता है को पंचायत द्वारा खाली रखा गया है जिस कारण मस्ट्रौल में किए गए कार्य तथा उसके विरूद्ध किए गए भुगतान को तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण जांच में पंचायत निधि खाता ''ख'' में दर्ज/भुगतान किए गए मस्ट्रौल तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थेः–

क्र	दिनांक	वाउचर	मस्ट्रौल क्रमांक	रो. ब. पृष्ठ	राशि (₹)
1	23.09.2016	29	15227	25	24008
2	23.09.2016	30	15228	25	3200
3	23.09.2016	31	15229	25	13030
4	06.06.2017	20	15235	7	24000
5	23.08.2017	24	15238	6	26040
6	06.09.2017	27	15240	7	11130
7	06.09.2017	28	15237	7	22932
8	06.09.2017	29	15241	8	30800
9	23.09.2017	30	15243	9	8610

3. प्रयोग किए गए मस्ट्रौलों में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।
4. मनरेगा के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रौल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण से भुगतान की गई राशि को किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है।

5. मस्ट्रौल में एक–दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसे सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26. मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–72 दिनांकः 10/04/2018 के प्रत्युत्तर में मनरेगा परियोजना से सम्बन्धित प्रस्तुत सूचना व अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का निरन्तर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1. **अधूरे रोजगार कार्डः–** रोजगार कार्ड अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।

2. मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹64,84,835 का समस्त व्यय तथा **परिशिष्ट ''2''** के अनुसार 37459 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।

3. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जाना**:– हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर मात्र मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों का ही आधा अधूरा अभिलेखन किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

27. निर्माण कार्य के निष्पादन में मूल्यांकन (Assessment) न करके किया गया ₹0.16 लाख का अधिक व अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षणावधि के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार किए गए कार्य के लिए मापन पुस्तिका में मात्र निष्पादित मदों की प्रमात्रा की प्रविष्टियां तथा उनका हि. प्र. शैडयूल ऑफ रेटस के आधार पर मूल्य ही दर्ज किया गया है तथा कार्य के मूल्यांकन हेतु आवश्यक न तो संविदाकार का लाभ घटाया गया और न ही महंगाई सूचकांक के आधार पर वृद्धि दी गई है। इस अधूरी गणना के कारण कुल ₹15,858 अनियमित तथा अधिक भुगतान किया गया हैः–

कार्य का नामः– गांव कुट में सुखराम के घर से दिला राम के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

मापन पुस्तिका क्रमांकः– 7263, पृष्ठ 19

परियेजना का नामः नरेगा

कुल किया गया व्यय/भुगतानः– ₹77,598

विवरण	**राशि (₹)**
हि. प्र. शैडयूल ऑफ रेटस के आधार पर किया गया निष्पादित कार्य का मूल्यांकन जो कि मापन पुस्तिका के पृष्ठ 19 पर दर्ज हैः–	44837
अपेक्षित (–) घटावः– 15 प्रतिशत संविदाकार का लाभः–	6726
	38111
अपेक्षित (+) जमाः– 62 प्रतिशत महंगाई/लागत सूचकांक के आधार पर वृद्धिः–	23629
निष्पादित कार्य का कुल मूल्यांकन/देय भुगतानः–	61740
कुल किया गया वास्तविक भुगतानः–	77598
अधिक किया गया मूल्यांकन एवं भुगतानः–	15858

अतः उपरोक्त अधिक किए गए भुगतान की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ती सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–72 दिनांकः 10/04/2018 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **''परिशिष्ट – ई''** में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

2. इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।

3. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच में दिक्कतें आई हैं। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। इससे स्वतः ही स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

29. **क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः—**

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग—अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत कोसरियाँ द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु इनमें उपरोक्त नियमानुसार पूर्ण जानकारी दर्ज नहीं की गई है। स्थाई सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में भी वस्तु के मूल्य, आपूर्तीकर्ता तथा उसके बिल व वारँटी इत्यादि को दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन करते समय हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है।

30. **प्रत्यक्ष सत्यापनः—**

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

31. **विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः—**

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	——	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	——	——

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

32. पंचायत पदाधिकारियों को देय मानदेय के सम्पूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः—

पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में मानदेय रजिस्टर में मात्र भुगतान की प्रविष्टियां ही दर्ज की जाती हैं। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

33. **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

34. **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(12)28/2018–खण्ड–1–5143–5146 दिनांक 31.07.2018 शिमला–171009

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत कोसरियां विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
0177–2620046